सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 अक्टूबर, 2020 ई0
कार्तिक 06, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 399 / XXXVI (3) / 2020 / 63(1) 2020
देहरादून, 28 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अधिनियम संख्याः 32 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32 वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए.

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 है

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन 2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वे आते हैं, "वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे।

व्यावृत्ति 3. ऐसे संशोधन के होते हुये भी मूल अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

No. 399/XXXVI(3)/2020/63(1)/2020
Dated Dehradun, October 28, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Technical University (Amenmment) Act, 2020' (Act No. 32 of 2020).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 October, 2020.

THE UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2020

(Uttarakhand Act No. 32 of 2020)

AN

ACT

Further to amend the Uttarakhand Technical University Act 2005;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

Short Title, and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in the Act

2. In the Uttarakhand Technical University Act 2005 (herein after referred to as principal Act) for the words **"Uttarakhand Technical University"** wherever they occur the words **"Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University"** shall be substituted.

Saving

3. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary.